लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक/शिक्षाकर्मी/2009/14/17/561 भोपाल, दिनांक 26/8/09

प्रति,

1. आयुक्त,
   नगर पालिक निगम भोपाल,
   जिला–भोपाल
   मध्यप्रदेश.
2. जिला शिक्षा अधिकारी,
   जिला–भोपाल,
   मध्यप्रदेश.

विषयः–अध्यापक संवर्ग अंतर्गत अंतर्जिला संविलयन के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत।

—0—

विषयांतर्गत अध्यापक संवर्ग अंतर्गत अंतर्जिला संविलियन के प्रकरणों में नगर निगम भोपाल द्वारा समय–समय पर आवेदकों को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये गये है। नगर निगम भोपाल द्वारा कई प्रकरणों में जारी किए गए अनापत्ति प्रमाण पत्र में वर्णित एक ही शाला में स्वीकृत पदों के विरूद्ध संविलियन हेतु एक से अधिक आवेदकों को अनापत्ति प्रदान की गई है। इस संबंध में आपके स्तर से स्वीकृत एवं रिक्त पद (विषय मान/समूह) उपलब्ध होने की समीक्षा करने के उपरांत ही आवेदकों को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाये, यदि बिना स्वीकृत पद के अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है एवं किसी प्रकार की अप्रिय/विधिक स्थिति निर्मित होती है तो उसका संपूर्ण उत्तरदायित्व नगर निगम भोपाल का होगा।

नगर निगम भोपाल द्वारा गत वर्ष भी जारी किए अनापत्ति प्रमाण पत्रों में वर्णित शालाओं में पद रिक्त न होने/अतिशेष की स्थिति के कारण संचालनालय को प्राप्त अंतर्जिला संविलियन के आवेदन पत्रों के निराकरण में प्रतिकूल स्थिति का सामना करना पड़ा था। तत्पश्चात् आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में बैठक में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में प्रकरणों को निराकरण के लिए जिला पंचायत भोपाल को प्रेषित किया गया था।

अतएव कृपया भविष्य में उक्त वर्णित स्थिति को ध्यान में रखते हुए आपके स्तर से कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

आयुक्त द्वारा अनुमोदित

संयुक्त संचालक
लोक शिक्षण, म.प्र.

पृष्ठांकन क्रमांक/शिक्षाकर्मी/2009/562 भोपाल, दिनांक 26/8/09

प्रतिलिपि :–

1. कलेक्टर, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश।
2. संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, संभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषित।

संयुक्त संचालक
लोक शिक्षण, म.प्र.

gl

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रं/अध्या.संवर्ग/ए/संवि./14/2009/559 भोपाल, दिनांक 26/8/09

//संशोधन आदेश//

संचालनालय के आदेश क्रं/अध्या.संवर्ग/ए/संवि./14/2009/502–503 भोपाल दिनांक – 20.08.09 के सरल क्रमांक – 03 पर अंकित श्रीमतो मंजू सिंह, अध्यापक (संस्कृत) शा.उ.मा.वि. औबेदुल्लागंज जिला रायसेन को संविलियन हेतु जारी आदेश के कॉलम तीन में अंकित शाला शा.उ.मा.वि. नेहरूनगर में संविलियन की अनुमति प्रदान की गई थी।

उक्त आदेश में टंकण त्रुटि होने के कारण आंशिक संशोधन करते हुए संविलियन निकाय की शाला शा.उ.मा.वि. नेहरूनगर जिला भोपाल के स्थान पर शा. कन्या हाईस्कूल नेहरूनगर जिला भोपाल पढ़ा जावें।

आदेश की शेष शर्ते यथावत रहेगीं ।

आयुक्त द्वारा अनुमोदित

26/8/09
उप संचालक
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश

पृष्ठा. क्रं/अध्या.संवर्ग/ए/संवि./14/2009/560 भोपाल, दिनांक 26/8/09
प्रतिलिपिः–

1. कलेक्टर, जिला रायसेन/भोपाल, मध्यप्रदेश।
2. आयुक्त, नगर पालिक निगम भोपाल।
3. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर पंचायत औबेदुल्लागंज जिला रायसेन मध्यप्रदेश।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत कोलारस जिला शिवपुरी मध्यप्रदेश।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, रायसेन/भोपाल, मध्यप्रदेश ।
6. संबंधित श्रीमती मंजू सिंह, अध्यापक (संस्कृत) शा.उ.मा.वि. औबेदुल्लागंज जिला रायसेन की ओर सूचनार्थ।

26/8/09
उप संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

sansodan